

NECCLTD/SEC./2026-27

October 26, 2026

To
Corporate Relations
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-4000 01
(Security Code : 534615)

The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051
(Symbol: NECCLTD)

Subject: Submission of Newspaper Publication of Un-audited Financial Results

Dear Sir(s)

Please find enclosed copies of the newspaper publications of the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2026. The results were published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), both dated October 25, 2026.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You

For North Eastern Carrying Corporation Limited


Rakesh
Company Secretary &
Compliance Officer
M. No. - A57773

Rakesh
h

Digitally signed
by Rakesh
Date: 2026.10.26
12:58:49 +05'30'



CIN: L49231DL1984PLC019485



Intec Capital
Sapare Agniti, Bharosa Agno Ka

इंटेक कैपिटल लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1994PLC057410

पंजीकृत कार्यालय: 708, मजुषा बिल्डिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

टेलीफोन : +91-11-46522200/300, फ़ैक्स : +91-1146522333

वेबसाइट: www.inteccapital.com

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

फिजिकल सिक्वोरिटीज के ट्रांसफर और डीमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSOD-POD/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार इंटेक कैपिटल लिमिटेड के सिक्वोरिटी होल्डर्स / इन्वेस्टर्स को सूचित किया जाता है कि फिजिकल इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर और डीमटेरियलाइजेशन के लिए एक और स्पेशल विंडो खोली गई है। यह उन मामलों के लिए है जहाँ ट्रांसफर डीड 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित की गई थी और

(क) ऐसी सिक्वोरिटीज के ट्रांसफर के लिए अनुरोध नहीं किया था

(ख) ट्रांसफर का अनुरोध किया था, लेकिन दस्तावेजों, प्रक्रिया या किसी अन्य कारण से कमी होने के कारण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, लौटा दिया गया या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह स्पेशल विंडो दो साल की अवधि के लिए खुली रहेगी, यानी 5 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2027 तक। इस दौरान मिलने वाले सभी योग्य अनुरोधों पर केवल डीमटेरियलाइजेशन मोड में कार्रवाई की जाएगी और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 (एक) साल की अवधि के लिए उन पर लॉक-इन लागू होगा।

ऊपर बताए गए सर्कुलर के अनुसार, जिन योग्य शेयरधारकों के पास 1 अप्रैल, 2019 से पहले तैयार किए गए वैध ट्रांसफर डीड हैं, वे नीचे दिए गए पते पर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को जरूरी दस्तावेजों के पूरे सेट के साथ अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं:

नाम: बीटल फाइनेंशियल एंड कप्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पता: बीटल हाउस, तीसरी मंजिल,

99, मदनगिर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062

फ़ोन: 011-42959000-09, 011-29961281-283, 26051061, 26051064

वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

इसके अलावा, शेयरहोल्डर complianceofficer@inteccapital.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय निर्देशक मंडल के आदेश से

इंटेक कैपिटल लिमिटेड हस्ताक्षर /

(सीआईएन: L74899DL1994PLC057410) निराकरण गुप्त

708, मजुषा बिल्डिंग, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

57, नेहरू प्लेस, सदस्यता संख्या : E59325

नई दिल्ली-110019

तारीख: 24 अक्टूबर, 2026

स्थान: नई दिल्ली

अवसं. सं. 3 (निधियम – 13(1)(अ) देखें)

ऋण वसूली अधिकार, मुम्बई (डीआरएच 1)

द्वितीय तल, कोलाबा, टेकनो भवन, कोलाबा मार्केट, मुम्बई-400005

बाद सं. टीएस/351/2023

EXH. No. 73

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (मॉड्यूल) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पंजित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सूचना

निधियम बैंक

बनयाम

ओरिसा सिमेंटिवर्य लिमिटेड

सेवा में,

1. ओरिसा सिमेंटिवर्य लिमिटेड, कर्वासी हाउस स्ट्रीट, कोलकता, पश्चिम बंगाल-700 001.

2. मेसर्स विम मेकिंग्स लिमिटेड, बी/12, ओबला इंडस्ट्रियल एरिया, केज 11, नई दिल्ली, दिल्ली-110 020

3. मेसर्स रिम रोड प्राइवेट लिमिटेड, 104, प्रोफे इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोलार परेज, मुंबई, महाराष्ट्र

4. मेसर्स यू ऑनियन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 12, रूस्किन स्टैर, 11, मेलेन रोड, पुणे, महाराष्ट्र.

5. मेसर्स ए.पी. एस्तेरली, 10, सेन्ट्रल गीअर स्ट्रीट, इरोड, तमिलनाडु-638 001

6. मेसर्स रिफ़िन्न एक्सेलिस लिमिटेड, 39, टुम्बलली, सर एम. बी. रोड के पास, अंधेरी (पुर्न), मुम्बई, महाराष्ट्र.

7. मेसर्स क्रिस्टल केमिक्ल्स, 3, असेक माली, पी. एम. रोड, फ़िते पार्क, मुम्बई, महाराष्ट्र-400 057.

8. मेसर्स एच. एम. सी. इन्स्ट्रुडन लिमिटेड, तीसरी मंजिल, एम. ए. सातव मार्ग, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र-400 005

9. मेसर्स बोकहार्ट वेदररली लिमिटेड, रेड्डी मनी टैरेस, ड्रुगरी मण्डल, 167, डॉ. ए. बी. रोड, बली, मुम्बई, महाराष्ट्र-400 012.

सूचना

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण सं. **18,58,253/** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध वाचिल किए गए (ओएफ) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर समम/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (आवेदन पत्र के साथ प्रतिलिपि आदि भी प्रेषित संलग्न है)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिक्रिया के लिए निम्न दिया जाता है:-

(i) समम की अपील के 30 (तीस) दिन के भीतर कारण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रावधानों के तहत नवी की आप- (ii) नया आवेदन के क्रमांक 3A के तहत अनिवार्य द्वारा निर्दिष्ट समप्रतिपत्तियां तथा आसितियों के औचित्यका प्रमाण आसितियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आगे को, समप्रतिपत्तियों की कृष्टि के लिए आवेदन के समुचित रूप आवेदन के निराकरण के दौरान, प्रत्याभूत आसितियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत निर्दिष्ट समप्रतिपत्तियों तथा आसितियों के संबंध में संतुल्यवार अपेक्षा निपटारा करने की मांगों की जाती है;

(iv) आगे किसी भी आसितिव जिन पर कोई प्रतिभूति लिखित सुचित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत अनिवार्य द्वारा निर्दिष्ट अथवा सुलुसा की गई समप्रतिपत्तियों तथा आसितियों का अंतराव किन्हीं, प्रस्ता अथवा अन्य प्रक्रिया में, आपके व्यवसाय के सहायता कोस को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेगे;

(v) आप व्यवसाय के सहायता कोस में प्रत्याभूत आसितियों अथवा अन्य आसितियों तथा समप्रतिपत्तियों की किसी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा किसी विदेशी आसितियों इन आसितियों पर प्रतिभूति लिखित वाक बैंक अथवा निधिप संस्थाओं में अनुचितित खोले में जमा करने हेतु निषेधित होगे।

आपको लिखित बयान दायित्व करने, उसकी प्रति आवेदक को भुगतान करनी तथा दिनांक 20/11/2026 को **पूर्व 11.30 बजे** ईमेलद्वारा के माध्यम भेजा होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अस्सफल रहने पर आवेदन को सुनवाई और निधिप आपको अनुचितरित में किया जाएगा।

फैरर डूक के लिए नीचे दिये गये दृआसत पर: 2025/59283S1009

<https://cis.drt.gov.in/online/paperbook.php?n=2025/59283S1009>

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की ओर लगाकर **09.10.2026** को दिया गया।

हस्ता/-

रजिस्ट्रार

मुम्बई, डीआरएच-1, मुम्बई

पंजीकृत कार्यालय: 301-302/8, 109, तीसरी मंजिल, डबल्यूई.ए. पूना रोड, कलबल बाग, नई दिल्ली-110005.

फ़ोन/टैक्स नंबर: 716-7167, सातवीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश.

फ़ैक्स: +91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल: info@csfinance.in, Legal@csfinance.in.

वेबसाइट: www.csfinance.in

CSL Finance Limited

ग्रांज नोटिस

चूंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटर(सी) के सिटीएस फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की गी। हमारा ध्यान है कि निरीक्षण सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ता / गारंटर / बंधकर्ता (सभी को अकेले या सामूहिक रूप से "दायित्वकर्ता" कहा जाता है) ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूल राशि के पुनर्भुगतान में विनिर्भर चुक की है। सीएसएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति लिख प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को एनएसआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत रिमांड नोटिस जारी करने के परिणामस्वरूप, सीएसएल की पुस्तकों में, नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।जिसमें दायित्वकर्ताओं और / या उनका कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक नोटिस में उल्लिखित राशि पर सविधानिक दूर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक ब्याज, लागत, शुल्क आदि सहित चुकाने का आह्वान किया गया है।

दायित्वकर्ताओं को इसके बारे में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं/कानूनी वारिधियों/ कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया राशि	घटनाक्रम
एलएएन : SEMLAPV/KI010014154 - उधारकर्ता: शुभम, सह-उधारकर्ता / सुरक्षा प्रदाता: तीसरी सी वीएस रुपये निशान, साथ ही मधिव्य पता 116, बदीपुर, अंधिका मेट्रोपुल, हर्दतपुर, धर्माला, मेन्चीपुर, शिव मंदिर का पास, देहरादून, उत्तराखंड, 248142	24 / 10 / 2026 तक रु. 10,11,320/- (दस लाख न्याह हजार मात्र) सी वीएस रुपये निशान का ब्याज, दंड/लाभ ब्याज, मंदीपुर, आंधीपुर, शिव मंदिर का पास, देहरादून, उत्तराखंड, 248142	ऋण समझौते की तिथि: 21.08.2025 एनपीए की तिथि: 05.08.2026 मांग सूचना की तिथि: 24.10.2026

अवकाश/बंधक संपत्ति का विवरण: मौजा बदीपुर, परगना पचवादानू, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित अवल संपत्ति "आबादी" भूमि पर बनी एक आवासीय संपत्ति है, जो खाता-खतौनी संख्या 0-340 (फसली 1427 से 1432) और खसरा संख्या 48 ख के अंतर्गत आती है। इसका कुल क्षेत्रफल 1323 वर्ग फुट (122.95 वर्ग मीटर) है, जिसमें से 720 वर्ग फुट (66.91 वर्ग मीटर) क्षेत्र ढका हुआ (कवर्ड एरिया) है। इसमें उक्त भूखंड पर 100% अधिमापित स्वामित्व अधिकार / हिरसा शामिल है। इसके साथ ही, इससे जुड़े सभी अधिकार, सुविधाएं, विशेषाधिकार और अन्य लाभ भी शामिल हैं। इसमें सभी फिक्स्चर, फिटिंग, बिजली और सेनेटरी फिटिंग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हैं। संपत्ति की सीमाओं और माप इस प्रकार हैं— स्वाभिव दस्तावेजों के अनुसार, उधार में मोहन लाल की भूमि, दक्षिण में 15 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व में नरेश कुमार का घर, पश्चिम में सुभाष शर्मा का घर। वास्तविक / तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, उधार में अन्य व्यक्ति की भूमि, दक्षिण में 15 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व में नरेश कुमार का घर, पश्चिम में सुभाष शर्मा की संपत्ति।

उपरोक्त परिस्थितियों में, दायित्वकर्ताओं और / या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि उक्त दायित्वकर्ता सीएसएल को भुगतान प्रतिशतों में किराए रहते हैं तो सीएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुखित संपत्ति(ओं) / अवल संपत्ति(यों) के खिलाफ पूरी तरह से उक्त दायित्वकर्ता(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में कायवाही करेगा।

उक्त अधिनियम के तहत उक्त दायित्वकर्ता / कानूनी उत्तराधिकारी / कानूनी प्रतिनिधि को सीएसएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी, पूरे या अंशपूर्ण के माध्यम से उक्त सुखित संपत्ति / अवल संपत्ति को हस्तांतरित करने पर प्रतिक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और / या दंड का सामना करना पड़ेगा।

दिनांक: 24.10.2026
हस्ता: देहरादून, उत्तराखंड
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड



यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड
बी-17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फिनियस मार्केट सिटी, कुर्ली (परिधान), मुम्बई- 400070

कम्पना सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] (अवल संपत्ति के लिए)

अधिक अयोहस्ताक्षरों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति लिख प्रवर्तन एक्ट 2002 (का 54) के तहत सूची कोटेशन लि, निम्नका प्रतीकपूर्ण पता: **बी-17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फिनियस मार्केट सिटी, कुर्ली (परिधान), मुम्बई- 400070** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित साथ 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नालिखित दिनांकों को निम्न नोटिस में उल्लिखित राशि को वापस सहित, उक्त नोटिस को प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वापस करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है इसलिए एतन्वुद्धा उधारकर्ता तथा संरक्षणाधार को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की कप्पारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन वहने प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नालिखित माह और बी को संपत्ति पर कब्जा से लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बंधक संपत्ति	कम्पना की तिथि
1.	1) विवेक रोड लाइन्स 2) सुनीता 3) चरण सिंह 4) मोहित कुमार कम्पना खाता सं: HCFDELSEC000011033 073 HCFDELSEC000011032 182	रु. 30,06,083.00 (रुपये तीस लाख छह हजार तिरासी माह) दि. 05.08.2026 तक की राशि हेतु मांग सूचना दिनांक: 05.08.2026	अवल संपत्ति का वह पूर्ण हिस्सा जोकि आवासीय मकान, विस्काय क्षेत्रफल 480 वर्ग गज (गर्नी 402.32 वर्ग मीटर) है, जो बारा संख्या 54, बरसा संख्या 439, के अंतर्गत और मॉल विस्काय क्षेत्रफल के क्षेत्र में परगना और तहसील बादरी, जिला नौमन ब्रह्म नगर, उत्तर प्रदेश 201306 इरवाली सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्व – राजमारी का पट्टा, पश्चिम – बीरक जा रोड, उत्तर – ब्रिड – राजमारी का पट्टा, दक्षिण – 42 फुट चौड़ा सला	22.10.2026

दिनांक : 25.10.2026, स्थान : दिल्ली

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, यूगो कैपिटल लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघितित)

सीआईएन : एए68110टीएन2014एसीएन097792, पंजीकृत कार्यालय : केआरएल टॉवर, 8वीं तल, हरियान पुर, चेन्नई, तमिऴनाडु – 600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फ़ैक्स : +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अवल संपति हेतु)

जबकि, अयोहस्ताक्षरकों ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघितित) के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति लिख प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 23-नवंबर-2026 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ताओं और गारंटर्स 1. रवि कुमार, 2. सूर्य प्रकाश नारायण को सूचना में अंकित राशि रु. 8,66,514.79/- (रुपये आठ लाख छियासठ हजार पांच सौ चौदह तथा उन्यासी पैसे मात्र), 20-नवंबर-2026 के अनुसार देया, का उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निम्नलिखित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अपए एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तजससाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकों ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 17 अक्टूबर 2026 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को परामर्शदा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन न रु. 8,66,514.79/- (रुपये आठ लाख छियासठ हजार पांच सौ चौदह तथा उन्यासी पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर नियत ब्याज हेतु आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघितित) के अग्रभाषित होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अवल संपत्तियों का विवरण

प्लेट नं. एफ-4, एल.आई.जी., प्रथम तल, (छत के अधिकारों के बिना), आगुत क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट अर्थात् 37.16 वर्ग मीटर, जो फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड संख्या डी-8/13 पर निर्मित है, आवासीय कॉलोनी डी.एल.एफ. अंबुलू विहार, ग्राम : लोनी, परगना : लोनी, तहसील व जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित समुचित टुकड़ा तथा भाग है, तथा भूखंड की सीमाएं निम्न प्रकार हैं :- पूर्व : अन्य स्वामी की भूमि, पश्चिम : 9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर : भूखंड संख्या डी-8/14, दक्षिण : भूखंड संख्या डी-8/12

दिनांक : 17-10-2026
स्थान : उत्तर प्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघितित)

प्राधिकृत अधिकारी

हस्ता : उत्तर प्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघितित)

ऋण खाता सं.: 19403845 एवं 10053925

IS 1570/2018

उपग्रह आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीनस्थ अभियन्ता, लखनऊ वृत्त

नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

e-mail: lucknowcircle@upavp.com, sejdlucknow@gmail.com

निर्माण प्रमाणित

ई-बिड आमंत्रण सूचना

वृत्त कार्यालय की ई-बिड आमंत्रण सूचना सं0-1626/डब्ल्यू-13/156 दिनांक 24.10.2026 के माध्यम से निर्माण खण्ड लखनऊ-12 में डिपॉजिट कार्यों के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में कराये जाने वाले कार्यों हेतु परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी फर्मों/उद्देश्यदार् से टू-बिड पद्धति पर ई-बिड-निविदा आमंत्रित की गयी है, जिनका विस्तृत विवरण नियम व शर्तें निर्माण खण्ड लखनऊ-12, लखनऊ के कार्यालय में तथा परिषद की वेबसाइट <http://upavp.in> राज्य सूचना को न्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

अधीनस्थ अभियन्ता

फॉर्म नं. 14(नियम 33(2) देखें)

कार्यालय-वसुली अधिकारी I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

पहली मंजिल एससीओ 33-34-35 बंसीपुर, बंसीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मांग नोटिस

ऋण वसूली एवं दिव्यनिर्माण अधिनियम, 1993की धारा 25 से 28 और अयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस

आरसी/115/2026

एचडीएफसी बैंक बनान मैसर्स ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड।

प्रतिपक्षी) मैसर्स ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-एई-88, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088, तथा बंसीगढ़ ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, के-31-32 इन्दिरा एस्टेट (आईडीसी), सेक्टर-14 के सामने, महत्ती रोड, एरुदुगम। प्रतिक्रिया (सीटी 2) की मोहति चट्टा पृष्ठ की भुगतान चट्टा निवारी ईई-88, शालीमार बाग, नई दिल्ली, अन्य पक्ष की 31-32 इन्दिरा एस्टेट (आईडीसी), सेक्टर-14 के सामने, महत्ती रोड, गुडगाम, एएम-4, शालीमार बाग, नई दिल्ली, और सीटी-40, शालीमार बाग, नई दिल्ली।

आपको सूचित किया जाता है कि डेटस रिक्वेरी रिट्यून्स (डीआरटी 2), बंसीगढ़ के पीएसटी अधिकारी द्वारा और / 10/22/2021 14 पक्षी आरक्षकों के तहत जारी रिक्वेरी सॉफ्टिक के अनुसार, आप पर (संकेत रूप से और अलग-अलग) 120 तरह की वित्तीय राशि की रु.19,222,020.70 (एक करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ बीस रुपये और सत्तर पैसे मात्र)की राशि बकाया है। इसके साथ ही, 25/05/2021 से वसुली की तारीख तक 8% सालाना साधारण ब्याज (मानके के दौरान और पश्चिम का सादा) और रु.14,00,000 (एक लाख बीसति हजार बीस रुपये मात्र)की लागत भी दे हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसुली बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसुली अधिनियम, 1993 और उसके तहत निर्माणों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको परामर्शदा अद्यत दिया जाता है कि आप हाथ्य पत्र पर सुनवाई की अगती तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

(4) आपको एतद्वारा आम की कार्यवाही के लिए 03.11.2026 को सुबह 10.30 बजे अयोहस्ताक्षरी के समक्ष उम्तियार होने का आदेश दिया जाता है।

(5) वसुली राशि के अलावा, आप निम्नालिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(क) अग्रभाषितप्रमाणित बकायाहिक के हरा नोटिस के तहत मात चुक होने वाली अवधि के लिए देय रहे ब्याज।

(ख) इस नोटिस पर चर्च और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत शुल्क एवं व्यय।

मेरे साथ और न्यायाधिकरण की भूहर के तहत, इस तिथि को दिया गया आदेश : 24.08.2026

अधिष्ठ (प्रमाणित)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: 28 अंजलि, सी-69/103, सी-4, आन कृष्ण मधुमत्त रोड, नई विना, वाणगायी, ड.ए. - 221010 ईमेल: action@hindujahousingfinance.com

अनुपालन : इन्डोअ आरबीसी - 9918301585 * ऑटोआयन : सीएस टुडे - 9696458882

सौचालय : देवदास पार्क - 9456800647

सामकित ककना सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति लिख प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में तथा प्रतिभूति लिख प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित साथ 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरों ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना जारी कर ब्याजधारकों (इसके बाद ब्याजधारकों और गारंटर्स को सामूहिक रूप से "ब्याजधारकों" कहा गया है) को उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में उल्लिखित ब्याज लौटने का निर्देश दिया था।

ब्याजधारक इस पत्र को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ब्याजधारकों को सूचित किया जाता है को प्रत्येक खाते के सामने दाखल गई तिथियों को अयोहस्ताक्षरों ने उक्त प्रतिभूति लिख प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित एक अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का संप्रतिक्रम कब्जा से लिया है।

विशेष रूप से ब्याजधारकों: गारंटर्स और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय में नहीं और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नहीं वर्धित किया गया। तथा संपत्ति कब्जा दूर पर ब्याज और आकस्मिक शुल्कों, लागतों, मुल्कों, आदि के लिए हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ब्याजधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचनित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (6) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र. सं.	एतद्वारा सं. ब्याजधारकों/ अयोहस्ताक्षरों के नाम और पता	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	एतद्वारा सं. : UP/KNP/VRSA/A000001891 1. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता गुप्त निधि निशान (उधारकर्ता) पता: आम बाजार स्थित जी निशान, 8/10/32 ई. 2, ककनाम आनन रोड, इंदुसलम, कानपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002, 2. श्रीमती स्मृति राय पता: खुद रूप निशान (उधारकर्ता/गर्न) (1): ईश्वर अर्जुन शर्मा, बरसाना नं. 2129, गरी नं. 2, गैर हावेली, केन्दुपुरा ककनाम, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, भारत - 491003, पता (2): श्रीमती शर्मन शर्मा, 7/10/2/12 ई. 2, ककनाम आनन रोड, इंदुसलम, कानपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002, 3. श्रीमती ईश्वर शर्मा, 7/10/2/12 ई. 2, ककनाम आनन रोड, इंदुसलम, कानपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002, 4. श्रीमती शर्मन शर्मा (उधारकर्ता/गर्न), निशान: श्रीमती शर्मन शर्मा, 7/10/2/12 ई. 2, ककनाम आनन रोड, इंदुसलम, कानपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002	08/08/26 23-10-2026 (संघितित)	रु. 7,76,674/- 23-10-2026 तक बकाया की इस पत्र लागू ब्याज
2.	एतद्वारा सं. : UP/KNP/VRSA/A000000524 1. श्री श्रीराम कुमार गुप्ता गुप्त निशान प्राइवेट भूमा (उधारकर्ता) पता: आम बाजार स्थित श्रीमती प्राइवेट भूमा, ग्रामा खिल्ला, बरसाना ककना, रोड बरसाना, जिला बरसाना, उत्तर प्रदेश, भारत ड 231001/2. श्रीमती अर्चना गुप्ता श्री श्रीराम गुप्ता (सह-उधारकर्ता) पता: पक्षी वीरधर गुप्ता, आम बाड़ी, बरसाना ककना, रोड बरसाना, जिला बरसाना, उत्तर प्रदेश, भारत - 231001	08/08/26 23-10-2026 (संघितित)	रु. 7,76,674/- 23-10-2026 तक बकाया की इस पत्र लागू ब्याज
	संपत्ति का विवरण : आवासीय प्लॉट, आरामा नं. 1539 के हिस्से में, क्षेत्रफल 1360 वर्ग फीट, मैना-बुजुरी, पाना विन्पुल, महल्लो नं. 30, पूर्व अस्पताल के पास, निवा माणगायी, उत्तर प्रदेश, 221002। मे निम्न। दिनांक 25/08/2026 तक, उक्त संपत्ति का ध्यान		